

कार्यालय ग्राम सभा जनपद पंचायत, शाहनगर
जिला पंजाब, मध्यप्रदेश


- ग्रामसभा का सहमति पत्र -

प्रमाणित किया जाता है -


1. नल संसाधन (आवेदक विभाग का नाम) ग्राम पंचायत की रक्षणारक्षण (पारिवर्तन का नाम) लालाल योगना में (कार्य का नाम) व्यापक व्यापक कार्य किया जाना प्रस्तुती है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम बधारकला आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र है, परन्तु कृषक कक्ष क्रमांक 11.03 / 11.04 में/राजरवं वन क्षेत्र खसरा क्रमांक..... में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत, पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 26/11/2016 को की गई, जिसमें ग्रामसभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह, प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है, तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संषादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्रामसभा एदद द्वारा उक्त कार्य पर अपना अधिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न : ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक : 26/11/2016


सचिव

ग्राम पंचायत बधारकला
ज.प. शाहनगर, जि. पट्टा (म.प.)



ग्राम पंचायत बधारकला
ज.प. शाहनगर, जि. पट्टा (म.प.)

